कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय मऊ में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विभिन्न ठेकों की नीलामी कार्यवाही का सम्पादन दिनांक 30.03.2026 में किया गया था। उक्त नीलामी की कार्यवाही में कुछ दुकानों की नीलामी नही हो पायी थी। अतः सर्वसाधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 7330/Admin(B-I) Section, Allahabad Dated April 28, 2026 के पत्र में वर्णित Circular letter No.797/Admin(B-I), Dated 15.03.1994 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 28.04.2026 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2026–27 में शेष अवधि (31.03.2027 तक) के लिए जनपद न्यायालय मऊ स्थित 1. झटपट फोटोग्राफर 2. जलपान दुकान न0 1, 3. जलपान दुकान न0. 2, 4. फोटो स्टेट दुकान न0. 1, 5. फोटो स्टेट दुकान न0. 2, 6. फलशर्बत दुकान न0. 1 7. फलशर्बत दुकान न0. 2 8. पान की दुकान न0. 1 9.स्टेशनरी 10. चना ठेला के ठेके को **<u>बिड द्वारा</u>** उठाये जाने के सम्बन्ध में **दिनांक 16.05.2026** को 01:00 बजे तक सीलबन्द लिफाफें में निविदा आमंत्रित है तथा **दिनांक 18.05.2026** को दोपहर 01:00 बजे सभागार कक्ष, जनपद न्यायालय मऊ में उपर्युक्त ठेकों की बिड खोली जाएगी। उपर्युक्त कार्यवाही में निविदा प्रस्तुत करनें वाले आवेदक स्वयं उपस्थित रह सकते है। उनकी उपस्थिति/अनुपस्थिति में नियमानुसार बिड खोली जाएगी।

1. झटपट फोटोग्राफर	(बतौर अग्रिम धनराशि 99000/–रूपये)
2. जलपान की दुकान न0. 1,	(बतौर अग्रिम धनराशि 39985/–रूपये)
3. जलपान की दुकान न0. 2,	(बतौर अग्रिम धनराशि 20427/–रूपये)
4. फोटो स्टेट दुकान न0.1,	(बतौर अग्रिम धनराशि 23661/–रूपये)
5. फोटो स्टेट दुकान न0. 2,	(बतौर अग्रिम धनराशि 20878/–रूपये)
6. फलशर्बत दुकान न0. 1	(बतौर अग्रिम धनराशि 7711/–रूपये)
7. फलशर्बत दुकान न0. 2	(बतौर अग्रिम धनराशि 2574/–रूपये)
8. पान की दुकान न0. 1	(बतौर अग्रिम धनराशि 4326/–रूपये)
9. स्टेशनरी	(बतौर अग्रिम धनराशि 3097/–रूपये)
10. चना ठेला	(बतौर अग्रिम धनराशि 2750/–रूपये)

लिफाफे खोलने के पश्चात् जिस व्यक्ति द्वारा उच्चतम दर पर दुकानों को लिये जाने की निविदा/प्रस्ताव दिया गया होगा उसे अग्रिम धरोहर धनराशि उपरोक्तानुसार नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। जो बिड स्वीकार होने पर ठेके की राशि में समायोजित हो जायेगी। अन्यथा उक्त जमानत धनराशि निविदा कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति को अगले कार्यदिवस में वापस कर दी जाएगी। शेष नियम व शर्तें किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर या नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मऊ से प्राप्त की जा सकती है।

05/05/26

(अरूणांजली सिंह)
सदस्य ,दुकान नीलामी समिति
सिविल जज (सी0डि0) एफ.टी.सी, मऊ।
जनपद न्यायालय–मऊ।

05.05.2026

(डा0 कृष्ण प्रताप सिंह)
सदस्य , दुकान नीलामी समिति
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद न्यायालय–मऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ एवं सूचना पटल पर लगाने हेतु प्रेषित।

1– माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2– जनपद न्यायालय, मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3– सूचना अधिकारी को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन कराये जाने हेतु।
4– जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर।
5– विकास भवन के नोटिस बोर्ड पर।
6– कलेक्ट्रेट, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
7– तहसील, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
8– जिला पंचायत, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
9– नगर पालिका, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।

05/05/26

(दीपनारायण तिवारी)
अध्यक्ष, दुकान नीलामी समिति
अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी–1
जनपद न्यायालय–मऊ।

Seen.

6.5.2026

Distt.Judge
Mau